डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीगण :– 1.पूनमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह 2.किशनसिंह पुत्र दुर्जनसिंह 3.गटु पत्नी दुर्जनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कापराऊ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगणः– 1.तहसीलदार साहब, चौहटन

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री नरेश भादू**

वाद बाबत 88 RT Act.

मुकदमा नं. 11/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री नरेश भादू** एड. मिनजानिब मुदाई व **तहसीलदार चौहटन** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाकर **ग्राम** कापराऊ पटवार क्षेत्र कापराऊ, तहसील चौहटन में खसरा नं. 108 रकबा 50.12 बीघा में अंकित पूनमसिंह, किशनसिंह पि. डूजा, गढू पत्नी डूजा के स्थान पर पूनमसिंह, किशनसिंह पि. दुर्जनसिंह, गढू पत्नी दुर्जनसिंह दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है। .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राप्ती तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 8.6.2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.........................

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 11/2018

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

वादीगण :– 1.पूनमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह 2.किशनसिंह पुत्र दुर्जनसिंह 3.गटु पत्नी दुर्जनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कापराऊ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगणः– 1.तहसीलदार साहब, चौहटन

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 8.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प कापराऊ में पेश हुई। वादी सं. 1 व 2 उपस्थित तथा प्रतिवादी उपस्थित। वादीगण के वाद का साथ संक्षिप्त में इस प्रकार है । वादीगण के पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा कापराऊ पटवार क्षेत्र कापराऊ, तहसील चौहटन में खसरा नं. 108 रकबा 50.12 बीघा आयी हुई है। यह भूमि वादीगण को उनके पिता व पति दुर्जनसिंह स पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई। राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड के संधान के समय वादीगण के पिता का नाम दुर्जनसिंह के स्थान पर भूलवश गलत डूजा अंकित कर दिया जबकि वादीगण की सही वल्दियत दुर्जनसिंह है। वादीगण के नाम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र एवं परिवार राशन कार्ड सहित समस्त दस्तावेजों में वादीगण की वल्दियत दुर्जनसिंह अंकित है। वादीगण की वल्दियत खातेदारी में गलत अंकन होने के कारण भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण आदि नहीं ले पा रहे हैं। वादग्रस्त भूमि मौजा कापराऊ पटवार क्षेत्र कापराऊ तहसील चौहटन में खसरा नं. 108 रकबा 50.12 बीघा में अंकित पूनमसिंह, किशनसिंह पि. डूजा, गढू पत्नी डूजा का नाम हटाया जाकर उसके स्थान वादीगण का नाम पूनमसिंह, किशनसिंह पि. दुर्जनसिंह व गढू पत्नी दुर्जनसिंह होना घोषित किये जाने की इस्तदुआ चाही गयी है।

वादीगण को मजमें आम चुना गया। प्रतिवादी तहसीलदार चौहटन इकबालिया जवाबदावा पेश किया तथा उभयपक्ष करने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जावे। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ पेश समस्त साक्षय सबूतों व दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा कापराऊ पटवार क्षेत्र कापराऊ, तहसील चौहटन में खसरा नं. 108 रकबा 50.12 बीघा में अंकित पूनमसिंह, किशनसिंह पि डूजा व गढू पत्नी डूजा का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम पूनमसिंह, किशनसिंह पि. दुर्जनसिंह व गढू पत्नी दुर्जनसिंह दुरुस्त करने की घोषणा की जाती है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.18 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 को न्यायालय कैम्प कापराऊ मे सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2018/ 1388 दिनांक 15.6.18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व वाद सं. 11/2018 पूनमसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार चौहटन पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 08.06.2018 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्र जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन